कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री मोहन लाल जाट, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानपुर सेड़वा जिला जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि लाम्बा, टोंक किया गया था जिसके विरूद्ध श्री मोहन लाल जाट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 606/2021 मोहन लाल जाट बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 606/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 28.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री मोहन लाल जाट के पदस्थापन के सम्बन्ध में चार सप्ताह तक स्थगित किया गया है।

श्री मोहन लाल जाट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना समायोजन राउमावि मंडोर, फागी, जयपुर/राउमावि कलमाण्डा, मालपुरा जिला टोंक अथवा राउमावि लाम्बा जिला टोंक किये जाने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी के उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी श्री मोहन लाल जाट को विभागीय आदेश दिनांक 04.01.2021 की अनुपालना में राउमावि लाम्बा जिला टोंक में प्रधानाचार्य पद पर कार्यग्रहण किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। श्री मोहन लाल जाट को आदेशित किया जाता है कि वे राउमावि लाम्बा जिला टोंक में तत्काल कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/मोहनलाल/606/2021 दिनांकः 03.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/टोंक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/टोंक।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)